प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
इलाहाबाद मंडल, इलाहाबाद।

सेवा में,

सचिव
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
शिक्षा केंद्र - 2 समुदाय केंद्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक एन0ओ0सी0/ /2018.2019 दिनांकः 25/06/2018

विषयः- एम0वी0कान्वेंट स्कूल एंड कॉलेज ओसा मंझनपुर कौशाम्बी को सी0बी0एस0ई बोर्ड दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई बोर्ड दिल्ली से सम्बद्धत्ता हेतु अनापत्ति प्रणाण पत्र दिए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैः-

1. विद्यालय की पंजीकृत सेसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण किया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जन जाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की अनुदान की मांग नहीं की जाएगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबंद्वता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदो से संबंद्वता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएगी।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षेणत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियो की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायीं जाएगी और उन्हें सहायता प्राप्त आशासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सराकर द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किया जायेंगे संस्थान उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिका में रखा जायेगा।

Scanned by CamScanner

9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा, और किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार कि चूक शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(माया निरंजन)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
इलाहाबाद मंडल, इलाहाबाद

पृ0सं0/एन0ओ0सी0/2475-53/2018-19 दिनांक - 25/06/2018

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. आयुक्त, इलाहाबाद मंडल इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी कौशाम्बी।
4. शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक कौशाम्बी।
6. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
7. प्रबंधक एम0वी0कान्वेंट स्कूल एंड कॉलेज ओसा मंझनपुर कौशाम्बी।
8. गार्ड फाइल हेतु।

भवदीय

(माया निरंजन)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
इलाहाबाद मंडल, इलाहाबाद।

Scanned by CamScanner